रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1447] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 19, 2017/वैशाख 29, 1939
No. 1447] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 19, 2017/VAISAKHA 29, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2017

का.आ. 1636(अ).—केंद्रीय सरकार, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि नीचे की सारणी के स्तंभ (2) और स्तंभ (3) के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट आयुधों और गोला-बारूद तथा रक्षा मदों के संबंध में, आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 5 की उपधारा (1), धारा 7 के खंड (ख) और खंड (ग) तथा अध्याय 3 के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों का प्रयोग और पालन किए जाने वाले कृत्यों का पालन, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के सचिव द्वारा भी किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उक्त धाराओं के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करते समय, केंद्रीय सरकार के गृह मंत्रालय के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन होगा;

(ख) सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, केंद्रीय सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अधिकथित नीतियों और अनुदेशों का पालन करेगा और केंद्रीय सरकार के गृह मंत्रालय की पूर्व-सहमति के बिना उसके संबंध में कोई नई नीति निरूपित या अनुदेश जारी नहीं करेगा; और

(ग) केंद्रीय सरकार, यदि उसकी राय में लोक हित में, ऐसी कार्रवाई करना आवश्यक है तो, शक्तियों और कर्तव्यों के ऐसे प्रत्यायोजन को वापस ले सकेगी या वह स्वयं उक्त धाराओं के अधीन शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन कर सकेगी।

अनुसूची

क्र. सं.	हथियार और गोलाबारूद की श्रेणी	सम्मिलित की गई रक्षा मदें
(1)	(2)	(3)
(i)	**टैंक और अन्य बख्तरबंद लड़ाकू वाहन**	(i) जमीन पर चलने वाले वाहन, जो निम्नानुसार हैं:— (क) जमीन पर चलने वाले वाहन, अर्थात् टैंक और अन्य सैन्य बख्तरबंद या सशस्त्र वाहन और ऐसे सैन्य वाहन, जो सुरंग बिछाने अथवा युद्ध सामग्री को प्रक्षेपित करने हेतु हथियारों अथवा उपकरणों के लिए आधार युक्त होते हैं और जिनमें कर्पित एवं स्थिर हथियार प्रणालियों के लिए सभी ट्रैक शुदा एवं पहियों वाले सैल्फ–प्रोपेल्ड बख्तरबंद और गैर-बख्तरबंद हथियार प्रणालियां तथा ट्रेलर्स सम्मिलित हैं। (ख) अन्य जमीन पर चलने वाले वाहन, अर्थात् समस्त पहिया चालित वाहन, जो बिना सड़क वाली जगहों में इस्तेमाल के लिए सक्षम और जो सुरंग बिछाने, विशेष रूप से सैन्य इस्तेमाल के लिए डिजाइन किए गए हों तथा हथियारों और उपकरणों हेतु आधार प्रदान करने सहित स्तर-III (एन आई जे 0108.01, सितम्बर, 1985 अथवा राष्ट्रीय मानक के समतुल्य अथवा इससे ऊपर) तक के बैलिस्टिक संरक्षण मुहैया कराने हेतु विनिर्मित किए गए हों अथवा युद्ध/सामग्रियों अथवा अवयवों के साथ फिट हों। (ग) सैन्य इस्तेमाल के लिए एम्फीबियस, होवरक्राफ्ट्स तथा गहरे पानी में पार करने वाले वाहन। (ii) क्रायोजेनिक एवं सुपरकन्डक्टिव उपकरण, जिन्हें सैन्य वाहनों में संस्थापित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया हो अथवा संरूपित किया गया हो।
(ii)	**रक्षा वायुयान, अंतरिक्ष यान तथा इसके पुर्जे**	• एयरक्राफ्ट्स जिसके अंतर्गत हेलीकॉप्टर, लाइटर दैन-एयर वेहिकल, मानवरहित एरियल वेहिकल्स, रिमोटली पाइलटेड वेहिकल्स, ऑटोनोमॅस प्रोग्रामेबल वेहिकल्स, मानव रहित लाइटर-देन-एयर वेहिकल भी हैं (इनमें सभी प्रकार के मानव चालित एवं मानव रहित एयरबोर्न वाहन, टारगेट प्रणालियां, लायटरिंग मिसाइलें, ड्रोण, बैलून्स, ब्लिम्प्स, एरोस्टेट, पैराशूट, पैराग्लाइडर्स, ग्राउण्ड इफेक्ट मशीनें, एअर कुशन वाहन अथवा हॉवरक्राफ्ट्स, मानव-रहित स्थलयान तथा लांचर्स, जो सैन्य इस्तेमाल के लिए डिजाइन किए गए हों, शामिल हैं)।
(iii)	**सभी प्रकार के युद्धपोत**	(i) "विशेष रूप से सैन्य इस्तेमाल के लिए डिजाइन किए गए" युद्ध-जलयान (भूतल अथवा अधोजल), अन्य भूतल जलयान (जो स्वचालित हथियारों के साथ फिट किए गए हों, जिनमें 12.7 मि. मि. अथवा इससे उच्चतर कैलिबर, रसायन जैविक, विकिरणीय और आणुविक संरक्षण, सक्रिय हथियार की काउंटरमेजर प्रणालियां हों), विशेष नौवहन उपकरण, सबमैरीन/टॉर्पीडो प्रतिरोधी नेट्स, हल पेनिट्रेटर्स और कनेक्टर्स। (ii) समुद्र अनुप्रयोगों के लिए एअर इन्डेपेंडेंट प्रोपल्सन प्रणालियां (न्यूक्लियर या कन्वेंशनल)

(iv)	**आयुद्ध नियम, 2016 के नियम-2 के उप-नियम (I) के खंड (51) के अंतर्गत यथा-परिभाषित 12.7 मि.मी. तक के कैलिबर के 'लघु शस्त्र' के अलावा ऐसे 'लघु शस्त्र' के लिए पार्ट्स, संघटक और गोलाबारूद के अतिरिक्त शस्त्र और गोलाबारूद और रक्षा उपकरणों की संबद्ध मदें; पार्ट्स एवं उनके अनुषंगी।**	(i) सभी राइफलें और साफ नाल वाले हथियार तथा अन्य शस्त्र, स्वचालित या अर्ध-स्वचालित अथवा पम्प की तरह कार्य करने वाले हथियार, केस रहित गोलाबारूद के प्रयोग वाले हथियार, साइलेंसर्स, स्पेशल गन-माउंटिंग्स, वेपंस साइट्स, सिग्नेचर रिडक्शन डिवाइसेस तथा राइफलों को शामिल करने हेतु फ्लैश सप्रेसर्श, कार्बाइनों, रिवाल्वरों, पिस्टलों, मशीन पिस्टलों, मल्टी बैरल राकेट, मशीन गनों, गनों, राकेट, जमीन, पोतों एवं समुद्र तट-आधारों पर इस्तेमाल की जाने वाली कैनन और मिसाइल प्रणालियां तथा एअरबोर्न, हावित्जर्स, मोर्टार्स, टैंक-रोधी हथियार, प्रोजेक्टाइल लांचर्स, मिलिटरी फ्लेम थ्रोअर्स, राइफलें, रीक्वायल रहित राइफलें। (ii) निम्नलिखित सहित गोलाबारूद और फ्यूज सेटिंग उपकरण: (क) सेफिंग एवं आर्मिंग उपकरण, फ्यूज, सेंसर्स, और इनिसिएशन उपकरण; (ख) उच्च वन-टाइन प्रचालनात्मक आउट-पुट के साथ विद्युत आपूर्ति; (ग) चार्ज के लिए ज्वलनशील खोल; (घ) बम्बलेट्स, माइनलेट्स तथा टर्मिनली गाइडेड प्रोजेक्टाइल्स सहित उप-युद्ध सामग्री। (iii) बम्ब, टारपीडो, ग्रेनेड, स्मोक कनिस्टर, राकेट, माइंस, मिसाइलें, डेप्थ चार्जिज, डीमोलिशन-चार्जिज, डीमोलिशन उपकरण, डीमोलिशन किट्स, एअरक्राफ्ट मिसाइल सुरक्षा प्रणालियां, "पायरोटेकनिक" उपकरण, कारतूस एवं सिमुलेटर्स (अर्थात् ऐसा उपकरण' जो इनमें से किसी भी मद के गुणों का छद्मरूप हो) जो सैन्य इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हों। (iv) इनर्जेटिक सामग्री" तथा संबद्ध पदार्थ, जिसमें सभी विस्फोटक सदृश प्राइमर्स, बूस्टर्स, इनीशिएटर्स, इग्नाइटर्स, डिटोनेटर्स, स्मोक बम, रंग संकेतक, प्रोपेलैण्ट्स एवं पायरोटेक्निक्स आक्सीडाइजर्स, बाइंडर्स, प्लास्टीसाइजर्स, मोनोमर्स, एडीटिव स्कूपलिंग अभिकर्मक, प्रीकसर्स एवं अन्य संबद्ध युद्ध उपकरण। (v) उच्च गति की गतिक ऊर्जा हथियार प्रणालियां और संबद्ध उपकरण: (क) ऐसी गतिक ऊर्जा हथियार प्रणालियां, जो विशेष रूप से विनाश अथवा इफक्टिंग मिशन, किसी लक्ष्य को एबोर्ट करने के लिए डिजाइन की गई हों; (ख) गतिज ऊर्जा प्रोजेक्टाइल्स एवं प्रणालियों के डायनामिक परीक्षण के लिए डायग्नोस्टिक इन्स्ट्रूमेंटेशन तथा लक्ष्यों सहित विशेष रूप से डिजाइन की गई परीक्षण एवं मूल्यांकन सुविधाएं और टेस्ट मॉडल। (vi) निम्नानुसार निदेशित ऊर्जा हथियार प्रणालियां, संबद्ध अथवा प्रत्युपाय उपकरण एवं टेस्ट मॉडल:— (क) लेजर प्रणालियां, जो विशेष रूप से विनाश अथवा इफेक्टिंग मिशन, किसी लक्ष्य को एबोर्ट करने के लिए डिजाइन की गई हों;

		(ख) पार्टिकिल बीम प्रणालियां जो विनाश अथवा इफेक्टिंग मिशन-किसी लक्ष्य को एबोर्ट करने में सक्षम हों; (ग) उच्च शक्ति की रेडियो आवृत्ति वाली प्रणालियां, जो विनाश अथवा इफेक्टिंग मिशन-किसी लक्ष्य को एबोर्ट करने में सक्षम हों; (घ) ऐसे उपकरण, जो विशेष रूप से ऊपर (क) एवं (ख) पर उल्लिखित प्रणाली के विरुद्ध रक्षा की पड़ताल अथवा पहचान के लिए डिजाइन किए गए हों; (ङ) इस शीर्ष के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रणालियों के लिए फिजिकल टेस्ट मॉडल, उपकरण और कम्पोनेंट्स। (च) लेजर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स (अर्थात् आंख और सेंसर सुरक्षा)

[फा. सं. एफ-V-11026/98/2016-आयुध (भाग-I)]

अजय रमेश सूले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2017

S.O. 1636 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), the Central Government hereby directs that the powers and functions exercisable and performed by it under sub-section (1) of section (5), clauses (b) and (c) of section 7 and Chapter III of the Arms Act, 1959, shall also be exercised and performed by the Secretary to the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, in respect of the category of arms and ammunition and defence items as specified under columns (2) and (3) of the Schedule below, subject to the following conditions, namely:—

(a) that the Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion shall, in the exercise and performance of powers and functions under the said sections, be subject to the supervision and control of the Central Government in the Ministry of Home Affairs;

(b) that the Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion shall observe the policies and instructions laid down by the Central Government in the Ministry of Home Affairs and shall not enunciate any new policy or issue instructions in relation thereto without the prior consent of the Central Government in the Ministry of Home Affairs; and

(c) that the Central Government may revoke such delegation of powers and functions or may itself exercise or perform the powers or functions under the said sections, if in its opinion such a course of action is necessary in the public interest.

SCHEDULE

S.No.	Category of arms and ammunition	Defence items included
(1)	(2)	(3)
(i)	**Tanks and other armoured fighting vehicles.**	(i) Ground vehicles, as follows:— (a) ground vehicles, namely, tanks and other military armoured or armed vehicles and military vehicles fitted with mountings for arms or equipment for mine laying or the launching of munitions includes all tracked and wheeled self propelled armoured and non-armoured weapon systems and trailers for towed and static weapon systems; (b) other ground vehicles, namely, all-wheel drive vehicles capable of off road use which have been manufactured or fitted with materials or components to provide Ballistic protection to level III (NIJ 0108.01,

		September 1985, or comparable national standard or above) with mountings for arms or equipment for mine laying specially designed for military use; (c) amphibious, hovercrafts and deep water fording vehicles for military use; (ii) Cryogenic and superconductive equipment especially designed or configured to be installed in military vehicle.
(ii)	**Defence aircraft, space craft and parts thereof.**	Aircraft including helicopters, lighter-than-air vehicle, Unmanned Aerial Vehicles, Remotely Piloted Vehicles, autonomous programmable vehicles, unmanned lighter than air vehicle (including all variety of manned and unmanned airborne vehicles, target systems, loitering missiles, drones, balloons, blimps, aerostat, parachutes, paragliders, ground effect machines, air cushion vehicles or hovercraft, Unmanned Aerial Vehicles and launchers, designed for military application).
(iii)	**Warships of all kinds.**	(i) Vessels of war (surface or underwater), other surface vessels (Fitted with automatic weapons having a caliber of 12.7 mm or higher, Chemical Biological Radiological and Nuclear protection, active weapon countermeasure systems), special naval equipment, anti-submarine or torpedo nets, hull penetrators and connectors specially designed for military use; (ii) Air Independent Propulsion systems (nuclear or conventional) for marine applications.
(iv)	**Arms and ammunition and allied items of defence equipment; parts and accessories thereof, *other than small arm of caliber upto 12.7 mm as defined under clause (51) of sub-rule (I) of rule 2 of the Arms Rules, 2016 and parts, components and ammunition for such small arm.***	(i) All rifle and smooth-bore weapons and other arms, automatic or semi-automatic or pump action type weapons, weapons using case less ammunition, silencers, special gun-mountings, weapons sights, signature reduction devices and flash suppressors to include rifles, carbines, revolvers, pistols, machine pistols, multi barrel rocket, machine guns, guns, rocket, cannon and missile systems – used on land, ships and shore based and airborne, howitzers, mortars, anti-tank weapons, projectile launchers, military flame throwers, rifles, recoilless rifles; (ii) ammunition and fuze setting devices, including the following:— (a) safing and arming devices, fuzes, sensors and initiation devices; (b) power supplies with high one-time operational output; (c) combustible cases for charges; (d) submunitions including bomblets, minelets and terminally guided projectiles. (iii) bombs, torpedoes, grenades, smoke canisters, rockets, mines, missiles, depth charges, demolition-charges, demolition-devices, demolition kits, aircraft missile protection systems, pyrotechnic devices, cartridges and simulators (i.e. equipment simulating the characteristics of any of these items), specially designed for military use; (iv) energetic materials and related substances includes all explosives like primers, boosters, initiators, igniters, detonators, smoke bomb, colour signals, propellants and

		pyrotechnics, oxidizers, binders, plasticisers, mobomers, additive scuopling agents, precursors and other related ammunition; (v) high velocity kinetic energy weapon systems and related equipment— (a) kinetic energy weapon systems specially designed for destruction or effecting mission-abort of target; (b) specially designed test and evaluation facilities and test models, including diagnostic instrumentation and targets, for dynamic testing of kinetic energy projectiles and systems; (vi) Directed Energy Weapon systems, related or countermeasure equipment and test models as follows:— (a) laser systems specially designed for, destruction or effecting mission, abort of a target; (b) particle beam systems capable of destruction or effecting mission-abort of a target; (c) high power Radio-Frequency systems capable of destruction or effecting mission-abort of target; (d) equipment specially designed for the detection or identification of; or defence against, system at (a) and (c) above; (e) physical test models for the systems, equipment and components, specified under this head; (f) Laser protection equipments (e.g. eye and sensor protection).

[F. No. V-11026/98/2016-Arms (Pt.I)]

AJAY RAMESH SULE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.05.19 21:54:21 +05'30'